

आज्ञा से

६

रीडर

2. 4. 24

गजावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।

अधिवक्ता वादी को सम्मन पेश करने हेतु पूर्व में श्री अन्तिम अवसर दिया गया था। वादी द्वारा सम्मन जोसेब पेश नहीं किये गये। न्यायालय द्वारा कुक-कुक कर तीन बार आवाज लगवाई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही न्यायालय समय समाप्ति तक उपस्थित हुआ। जिससे जाहिर होगा कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है व वाद छोड़ने नहीं चलाना चाहता है। अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हजरी अदम पैरवी में वारिज किया जा रहा है। निर्णय से इजलास टुनाया गया प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(रिया डबी)

IAS

उपस्थित अधिकारी
मि. उदयपुर